हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 89

शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020/27 भाद्रपद,1942 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या : 3262, 3263, 3267 व 3268 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्या : 3264 व 3265 पर सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या : 3266 पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत) ने दिया। तारांकित प्रश्न संख्याः 3268 से 3287 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1240 से 1265 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,** सदस्य ने शिमला-मटौर तथा पठानकोट-कांगड़ा-मण्डी फोरलेन परियोजनाओं तथा अन्य राष्ट्रीय उच्च मार्गों के रद्द होने संबंधी बिषय उठाया तथा सरकार से वस्तुस्थिति सदन में रखने का आग्रह किया।

मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार इन सभी हाईवेज़ की फोर लेनिंग करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह मामला लगतार केन्द्र के साथ उठाया जा रहा है।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित का 44वां वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित का 45वां वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री राजिन्द्र गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री सुन्दर सिंह ठाकुर** ने **"कुल्लू शहर को NH Left Bank से जोड़ने वाले भूतनाथ पुल की मरम्मत में हो रही देरी"** से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री बलबीर सिंह वर्मा** ने दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक **"आठ साल से क्यों नहीं बना 66 के0वी0 सब-स्टेशन"** से उत्पन्न स्थिति की ओर बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री ने कोरोना काल में रोकी गई विधायक क्षेत्र विकास निधि पुनः शुरू किए जाने के बारे में वक्तव्य दिया।

मुख्य मंत्री ने दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राचीन हनुमान मन्दिर मुंडा घाट, जिला शिमला में चोरी की घटना को शिमला पुलिस द्वारा सुलझा लेने तथा सम्मिलित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी हुई अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति बरामद करने बारे सदन को जानकारी दी।

श्री मुकेश अगिन्होत्री , नेता प्रतिपक्ष ने विधायक क्षेत्र विकास निधि पुनः जारी करने के लिए मुख्य मंत्री का धन्यवाद किया।

श्री राजेन्द्र राणा, सदस्य ने अन्य कर्मचारी वर्गों की तर्ज़ पर ही पुलिस विभाग में अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को 8 साल के बज़ाए 3 साल पूरा करने पर नियमित करने संबंधी विषय उठाया।

मुख्य मंत्री ने इस सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया।

श्री विशाल नैहरिया ने कांगड़ा स्थित केन्द्रीय विश्व विद्यालय में निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किए जाने के बारे विषय उठाया।

मुख्य मंत्री ने सुचित किया कि अब संबंधित भूमि की फोरेस्ट क्लीयरेंस अंतिम पड़ाव पर है जिसे मिलने के पश्चात निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा चर्चा हेतु दिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषय सत्र के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किए गए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा सदस्यों को अधिक से अधिक प्रश्नों, सूचनाओं तथा विषयों को उठाने के लिए अवसर दिया गया है, लेकिन यह संभव नहीं है कि सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी विषय सत्र अवधि के सीमित समय में कार्यसूची में सम्मिलित किए जा सकें।

4. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सर्वश्री नन्द लाल, परमजीत सिंह, आशीष बुटेल, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री सुभाष ठाकुर, इन्द्र दत्त लखनपाल, राम लाल ठाकुर तथा श्रीमती आशा कुमारी, सदस्यों की ओर से नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल ने "दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3194 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की -

"हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 की चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने

समिति बनाने का आग्रह किया है। माननीय सदन की अनुमति हो तो विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों की समस्याओं के निवारण हेतु एक समिति का गठन करता हूं जिसका मैं सभापति हूँगा तथा उसमें चार सदस्य होंगे।"

सत्र का समापन

सत्र की समाप्ति पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने विस्तृत वक्तव्य देते हुए कहा कि यह सत्र ऐतिहासिक रहा है जिसमें जहां आज तक मॉनसून सत्र की सबसे अधिक बैठकें हुई वहीं यह कोविड-19 के दौर में हुआ है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया और चूंकि बजट सत्र में बैठकों में कमी रही थी, इसलिए इस सत्र को 10 दिन का किया गया। इस सत्र में बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। नियम-67 के अंतर्गत कोविड-19 पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर उस पर चर्चा की गई व लंबी चर्चा के बाद उत्तर दिया गया। मुख्य मंत्री ने कहा कि इस बार का मॉनसून सत्र अलग परिस्थितियों का सत्र होने, लंबा सत्र होने व नियम-67 की चर्चा के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में सत्र बहुत कम अवधि के हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सदन में विस्तृत चर्चा किए जाने की रीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी सदन में खुलकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान प्रदेश की जनता ने सरकार को भरपूर सहयोग दिया है और वह आगे भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मुख्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष सहित सदन के कार्य से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सदन के भीतर सबसे अधिक प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि वह आसन का सम्मान करते है लेकिन विषयों को उठाना और अपनी बात मनवाने के लिए बहिर्गमन या दूसरे माध्यम अपनाकर सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण बिन्दुओं की और दिलाना विपक्ष का कर्तव्य है। उन्होंने नये मंत्रियों का स्वागत करते हुए उनके द्वारा अच्छे उत्तर देने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जनता का प्रहरी होने के नाते विपक्ष द्वारा मुद्दे उठाए जाने को लेकर सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया कि कोविड-19 पर जैसे मदों पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करते रहना चाहिए।

सत्र के समापन पर माननीय अध्यक्ष द्वारा संबोधन

"अब सत्र समापन की ओर है और आज इस मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है। मुझे लगता है कि यह 10 दिनों तक चलने वाला सत्र आने वाले वर्षों के लिए एक इतिहास बनेगा क्योंकि यह सत्र सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ है। आज कोरोना ने पूरे विश्व और पूरे देश में अपने पांव पसारे हैं। जहां लोगों के मनों में कई प्रकार के द्वन्द्व

हैं वहीं चुने हुए प्रतिनिधियों के मनों में भी कई प्रकार की भ्रांतियां थीं कि क्या हिमाचल प्रदेश में इन विपरीत परिस्थितियों में सत्र हो सकता है या नहीं। उन परिस्थितियों में हिमाचल में सफलतम सत्र हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अवश्य इतिहास बनेगा। उस इतिहास में इस सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश जी, इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य पूर्व में रहे मुख्य मंत्री आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री जिनका हमेशा इस सचिवालय को सहयोग मिलता रहा है, श्री सुरेश भारद्वाज जी और यहां पर उपस्थित पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगणों के नाम होंगे। हालांकि यह तभी संभव हो पाया है जब हमारी सभी विषयों में सहमति बनी। हो सकता है कि कुछ मुद्दों को लेकर हम सबकी अलग-अलग राय हो, परन्तु अंत में निर्णय एक हो, इस भावना को लेकर हमने जब भी ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने जब भी बिजनैस एडवाइज़री कमेटी के माननीय सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया, उसमें सभी के सहयोग के कारण ही यह सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है।

हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी अनुपालना करना बहुत ज़रूरी है। जनवरी-फरवरी में कोविड आया और मार्च में कुछ मामले हिमाचल प्रदेश में भी आए। 23 मार्च, 2020 को बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया था, इसलिए हमें 6 महीने के अन्दर यह सत्र करना था। हमने यह सत्र 07 सितम्बर, 2020 को शुरू किया और आज हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। शायद कुछ माननीय सदस्यों को पॉली-कॉर्बोनेट शीट ने तंग भी किया होगा। माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी कह रहे थे कि यह बीच में क्या लगा दिया है? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस शीट के कारण बहुत से माननीय सदस्य सुरक्षित रहे हैं। इसके लिए इस सचिवालय ने जो व्यवस्था की थी; जो हमारे पांच प्रवेश द्वार थे, वहां पर सैनेटाइज़ करने की व्यवस्था, यहां पर मास्क देने की व्यवस्था, सदन में 100ml के सैनेटाइज़र की छोटी शीशी हर टेबल पर रखने की व्यवस्था और दिन में दो बार - सुबह और शाम इस पूरे परिसर को सैनेटाइज़ करने की व्यवस्था, यह सब इस सचिवालय के जो अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हुई है।

मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। हर सत्र के संचालन के लिए लगभग यहां पर 1200-1300 अधिकारी व कर्मचारी लगते थे। उनकी संख्या को हमने कम करके 400 तक सीमित किया। हमने इस विधान सभा से सभी माननीय मंत्रियों से निवेदन किया था कि आप अपने साथ अपना अधिक स्टाफ न लाएं, यहां पर प्रतिनिधि मंडलों को आने की इजाज़त न दें। हमने इस बार कहा था कि विधान

सभा का सत्र देखने के लिए जो आगन्तुक आते हैं, उनको भी पासिज़ जारी नहीं किए जाएंगे। हमने जो तय किया, मंत्रियों और विधायकों ने उसकी अनुपालना की जिसके लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा में लगे अधिकारी/कर्मचारियों या टूरिज्म के कर्मचारियों द्वारा जो खाने की व्यवस्था की गई थी, सोशल डिस्टैंसिंग की अनुपालना हुई, उसके लिए भी टूरिज्म विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये काम तभी सफ़ल हो सकते हैं जब सरकार का पूर्ण सहयोग रहे। इस पूर्ण सहयोग के लिए मैं सदन के नेता मान्यवर मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह इतिहास बनने जा रहा है और उसमें हिमाचल प्रदेश की विधान सभा, जिसकी बड़ी श्रेष्ठ परम्पराएं रही हैं, उज्जवल परम्पराएं रही हैं उनका सत्तापक्ष और विपक्ष इस सत्र के माध्यम से निर्वहन कर रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं।

हमारी 25 बैठकें आज पूर्ण हो जाएंगी। हमने 10 दिन के सत्र का आयोजन कर इसे सफलतापूर्ण निभाया है। इस सत्र की 10 बैठकों में जनहित के बहुत से महत्वपूर्ण विषय यहां पर आए हैं। माननीय सदस्यों के माध्यम से बहुत ही अच्छे व बहुमूल्य सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके हिमाचल प्रदेश के विकास में अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि विपक्ष व सत्ता पक्ष की ओर से जो सुझाव आए हैं, जब भी सरकार का अलग-अलग मुद्दों पर नीति-निर्धारण होगा, तो आपके सुझाव अवश्य सार्थक सिद्ध होंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। जब भी सरकार की अलग-अलग मुद्दों पर नीति निर्धारित होगी तो आपके सुझाव अवश्य सार्थक सिद्ध होंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। इस सत्र के दौरान कुल 434 तारांकित तथा 223 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाया गया है। नियम-61 के अंतर्गत 5 विषयों पर और नियम-62 के अंतर्गत 10 विषयों पर क्रमशः ऊना पट्ट बघार के चौकीदार की हत्या, नगर-निगम के गठन में पंचायतों द्वारा आपत्तियां, सेबों के दाम में गिरावट, कांगड़ा फॉर्टिज में कुप्रबंधन, परियोजना विस्थापित मुआवजा, कुल्लू-मंडी के पुलों के निर्माण में चर्चा, विद्युत आपर्ति इत्यादि संबंधित विषयों पर भी इस माननीय सदन में चर्चा हुई है। पिछले कई वर्षों से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव आया। विषय स्थगन का था और कोविड महामारी के संक्रमण के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता था। इस सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यहां विपक्ष की ओर से इसको शुरू किया गया। सत्तापक्ष की ओर से भी सुझाव रखे गए और लगभग 6.25 घंटे तक इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा मुख्य मंत्री के द्वारा उसका विस्तार से उत्तर दिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस संक्रमण के समय जो साधन-व्यवस्थाएं खड़ी की

गई थीं उसका उत्तर दिया गया। मैंने भी इस विधान सभा का रिकॉर्ड खंगाला है तो मुझे कहीं यह दिखा नहीं कि इससे पहले कभी नियम-67 के अंतर्गत चर्चा बुलाई गई हो और उसको इस सदन में स्वीकार किया गया हो। मुझे यह भी लगता है कि यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज़ होगी क्योंकि इस प्रकार की रिकॉर्डिंग आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, जब भी कोई व्यक्ति शोध करता है या कोई व्यक्ति सत्तापक्ष या विपक्ष में बैठता है तो अवश्य उन विभूतियों के भाषणों को ज़रूर पढ़ता है और उसका उल्लेख करता है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की बातों का उल्लेख अवश्य होगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त नियम-101 के अंतर्गत दो गैर-सरकारी संकल्प एवं पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर भी चर्चा की और माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये तथा संकल्प वापिस लिये। 12 सरकारी विधेयक सभा में पुरःस्थापित एवं सार्थक चर्चा उपरांत पारित हुए, जिसमें कि दो विधेयकों पर सरकार की ओर से संशोधन प्राप्त हुए और संशोधित रूप में पारित किये गए। नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 9 विषय सभा में उठाए गए। सरकार द्वारा इस संबंध में वस्तुस्थिति की सूचना माननीय सदस्यों को दी गई। सभा की समितियों ने भी 55 प्रतिवेदन सभा में उपःस्थापित किये। इसके अतिरिक्त भी कुछ माननीय सदस्यों की विभिन्न नियमों में सूचनाओं पर समय के अभाव के कारण चर्चा नहीं हो सकी तथा कुछ सूचनाएं नियमों की परिधि में न आने के कारण अस्वीकृत की गईं।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित वक्तव्य दिये गए तथा दस्तावेज़ सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गए। इस सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा है कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाई जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का, जोकि इस माननीय सदन के नेता हैं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो आपने मुझे सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सत्र का संचालन करने के लिए जो यहां पर समय-समय पर मार्गदर्शन दिया या सहयोग किया उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री वीरभद्र सिंह जी, जब सत्र शुरू हुआ था तब भी आप सदन में आए और आज भी आए हैं, आपके आने से इस सदन की गरिमा अपने आप ही बन जाती है। आपका हमें जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना

चाहता हूं जिसकी वजह से मैं इस माननीय सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन कर पाया।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभारी हूं। आपने सत्ता और विपक्ष में जो समन्वय बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष जी का और सभापति तालिका में जो माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने इस सदन के संचालन में सहयोग दिया; बहुमूल्य समय दिया, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तथा विधान सभा सचिवालय के सचिव, समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा परिसर में स्थित लोक निर्माण, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभारी हूं जिन्होंने कोरोना काल में इस सत्र के दौरान दिन-रात काम किया। मैं अपने प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं इस माननीय सदन के समस्त सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमा और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने विषयों को इस माननीय सदन में रखा। मैंने आपसे पहले दिन ही यह अपेक्षा की थी कि मैं इस सत्र को तभी ढंग से चला सकता हूं जब मुझे सत्तापक्ष और विपक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। बीच में कुछ हुआ होगा, कुछ मीठी-कड़वी बातें आई होंगी, इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको यहीं छोड़कर जाना। जो अच्छा हुआ होगा, वह अपने साथ ले कर जाना, यही मैं अपेक्षा करता हूं।

(राष्ट्रीय गीत के लिए सभा मण्डल में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

सदन की बैठक 02.35 बजे अपराह्न अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।